20/0/0014

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 1/2010 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्री गौत्तम भण्डारी वल्द दिलमोहन भण्डारी जाति महाजन (मृतक) कायम मुकामान

1/1 श्रीमती राजुल भण्डारी बेवा गौतम भण्डारी

1/2 कुमारी प्रभा भण्डारी पुत्री गौतम भण्डारी

1/3 नरेन्द्र चन्द्र भण्डारी पुत्र गौतम भण्डारी

1/4 रमेन्द्र भण्डारी उर्फ रमेश चन्द्र भण्डारी पुत्र गौतम भण्डारी

1/5 जितेन्द्र भण्डारी आत्मज गौतम भण्डारी

1/6 अरूण भण्डारी आत्मज गौतम भण्डारी

निवासीगण कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– श्री तेजमल जैन (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक :08.11.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किए है कि कुन्हाडी की जमाबंदी सम्वत् 2013–16 के अनुसार राजचंद सैन के हवाला मे जैलीयान क्रमांक 4 पर लल्लू बेवा किशना धाबाई वासगांव (कदीम) के नाम खसरा नं0 395/71 रकबा 15 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं0 319/140 रकबा 6 बीधा 10 बिस्वा कुल 22 बीधा 6 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी । लल्लू बेटा किशना धाबाई जैली काश्तकार था, जिसे कोई खातेंदारी अधिकार प्राप्त नही था । लल्लू बेटा किशना धाबाई ने उक्त भूमि खसरा नं0 395/71 रकबा 15 बीधा 16 बिस्वा वाके माल कुन्हाडी विक्रय पत्र 110/60 दिनांक 08.02.60 के अनुसार (मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी, कोटा) द्वारा श्री किशोरमल मेहता आत्मज रवीराज मेहता, गौतम चन्द भण्डारी आत्मज दिलमोहन भण्डारी, सुरेन्द्र सिंह आत्मज किशोरमल मेहता, नरेन्द्र चन्द भण्डारी आ0 गौतम चन्द भण्डारी मेम्बरान को बेचान किया है । सेटलमेन्ट खतोनी सम्वत् 2016–24 के अनुसार उक्त आराजी खसरा नं0 395/71 रकबा 15 बीधा 16 बिस्वा जिसके की खसरा नं0 47 रकबा 15 बीधा 14 बिस्वा, खसरा नं0 47/352 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नं0 353 रकबा 0.03 बिस्वा किशोरमल मेहता वल्द खेमराज मेहता व गौतम चन्द भण्डारी, सुरेन्द्र सिंह मेहता वल्द किशोरमल मेहता महाजन सा0 देह के नाम दर्ज है । मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी के नाम से दस्तावेज संख्या 110/60 के द्वारा उक्त चारो मेम्बरान द्वारा 15 बीधा 16 बिस्वा भूमि की क्रय की गई थी, साथ ही उक्त

दस्तावेज मे खसरा नं0 47 रकबा 16 बीधा 15 बिस्वा भी अकित किया गया है । जबकि सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2016–24 को खतोनी मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी, के नाम पर भूमि खाते दर्ज नही कर किशोरमल मेहता, गौतमचन्द, नरेन्द्र चन्द भण्डारी, सुरेन्द्र सिंह मेहता के खाते खसरा नं0 47 के बटा नम्बर अंकित करते हुए 16 बीधा 1 बिस्वा भूमि खाते मे दर्ज की गई । जबकि बैनामे के आधार पर मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी, के नाम पर 15 बीधा 16 बिस्वा भूमि अंकित होना चाहिये । जबकि सेटलमेन्ट द्वारा मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी, के नाम भूमि अंकित नही करते हुए मेम्बरान के नाम 16 बीधा 1 बिस्वा भूमि खाते मे अंकित की है, जो खरीदशुदा भूमि के मुकाबले 0.05 बिस्वा खाते मे अधिक दर्ज की गई । जमाबन्दी सं0 2030–33 के अनुसार किशोरमल मेहता वल्द खेमराज मेहता, गोतम चन्द भण्डारी वल्द मोहनलाल भण्डारी, नरेन्द्र भण्डारी वल्द गौतमचन्द भण्डारी, सुरेन्द्र सिंह मेहता वल्द किशोरमल मेहता के नाम 15 बीधा 16 बिस्वा भूमि खाते मे दर्ज है । नामा0 नं0 105 से ख0 नं0 47 की 0.05 बिस्वा भूमि में ड्रेन खुद जाने से उक्त चारो खातेदारों के नाम 15 बीधा 11 बिस्वा भूमि शेष रही । साथ ही नामा नं0 133 दिनांक 11.03.78 से किशोरमल मेहता ने अपने हिस्से की आराजी गौत्तमचन्द भण्डारी, नरेन्द्र चन्द भण्डारी के पक्ष मे बेचान की है । इसी प्रकार नामा0 नं0 134 दिनांक 11.03.78 से सुरेन्द्र सिंह मेहता द्वारा अपने हिस्से की आराजी गौत्तम चन्द व नरेन्द्र चन्द के पक्ष मे बेचान की है । इसी प्रकार सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2038–57 से पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2034–37 में गौतम चन्द व नरेन्द्र चन्द भण्डारी के नाम है । ख0 नं0 47 की 0.05 बिस्वा भूमि ड्रेन मे अवाप्त होने के पश्चात 15 बीधा 11 बिस्वा भूमि उक्त खाते मे दर्ज रिकार्ड है । सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2038–57 कि अनुसार गौतम चन्द भण्डारी पुत्र मोहन चन्द भण्डारी व नरेन्द्र चन्द भण्डारी पुत्र गौतम चन्द भण्डारी, जितेन्द्र चन्द, रमेश चन्द, अरूण पिता गौतम चन्द व कुमारी प्रभा भण्डारी पुत्र गोतम चन्द भण्डारी जाति महाजन सा0 देह हि0व0 खातेदार के नाम ख0 नं0 78 रकबा 0.05 है0, ख0 नं0 84 रकबा 2.84 है0, 249 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.09 है, खसरा नं0 84/442 रकबा 0.01 है कुल रकबा 3.03 है0 दर्ज हुई । इस प्रकार सेटलमेट से पूर्व गौतम चन्द भण्डारी, नरेन्द्र चन्द भण्डारी के नाम 15 बीधा 11 बिस्वा भूमि खाते मे दर्ज थी, जिसके की मेट्रिक प्रणाली में 2.50 है0 बनते है । जबकि सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 में 03.03 है0 भूमि खाते मे दर्ज की गई इस प्रकार गत के मुकाबले 0.53 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई । उक्त खाते मे जो रकबा अधिक दर्ज हुआ है को आस पास के खातेदारों की भूमि मे से ही कमिबेशी की गई । सिवाय चक भूमि मे से कोई कमिबेशी नही की गई । अतः उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री तेजमल जैन एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन है कि लल्लू बेटा किशना से गौतमचन्द भण्डारी व अन्य ने संयुक्त रूप से खसरा नं0 395/71 की 15 बीधा 16 बिस्वा भूमि खरीद की थी । मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी का पंजियन नही होने के कारण खरीद शुदा भूमि उन व्यक्तियों के खाते बन्धी, जिन्होने भूमि खरीद की थी । जहां तक 0.05 बिस्वा भूमि अधिक खाते बन्धने का प्रश्न है, इस संबंध मे प्रतिपक्षीगण का समीपवर्ती काश्तकारों राजचन्द्रसेन व मोहनलाल से विवाद चल रहा है । जिसमे 10 बिस्वा भूमि मोहनलाल की मानी गई तथा 7 बिस्वा भूमि राजचन्द्र सेन जी की है । राज्य सरकार की कोई भूमि प्रतिपक्षीगण के नाम नही बंधी है तथा मौजूदा भूमि के संबंध में भी पडोसी काश्तकारों से विवाद चल रहा है । प्रतिपक्षीगण के खाते मे वर्तमान मे जो 3.03 है0 भूमि है उसमे ख0 नं0 78 की 0.05 है0 से प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध नही है । इसके अतिरिक्त 10 बिस्वा भूमि मोहनलाल तथा 7 बिस्वा भूमि राजचन्द्र सेन जी की है, जिसका विवाद चल रहा है । ख0 नं0 249 की 0.04 है0 भूमि प्रतिपक्षीगण ने 100/–रूपये के स्टाम्प के आधार पर श्री लक्ष्मण सिंह

आत्मज श्री राज चन्द्र सेन से खरीद की है । प्रतिपक्षीगण की खातेदारी मे कोई भी सिवाय चक या सरकारी भूमि सम्मिलित नही की गई है । विशेष आपत्तियों मे कथन किया कि लल्लू को अपने अधिकार हस्तान्तरित करने का अधिकार था तथा इसमे आपत्ति करने का किसी को कोई अधिकार नही है । विवादित भूमि सन् 1960 मे खरीद की गई है, जिसे अब 50 वर्ष बाद चुनौती नही दी जा सकती है । रियासत कोटा मे जैली को अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरण करने के पूर्ण अधिकार थे । अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस मे रेफरेन्स मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2038–57 कि अनुसार गौतम चन्द भण्डारी पुत्र मोहन चन्द भण्डारी व नरेन्द्र चन्द भण्डारी पुत्र गौतम चन्द भण्डारी, जितेन्द्र चन्द, रमेश चन्द, अरूण पिता गौतम चन्द व कुमारी प्रभा भण्डारी पुत्र गोतम चन्द भण्डारी जाति महाजन सा0 देह हि0ब0 खातेदार के नाम ख0 नं0 78 रकबा 0.05 है0, ख0 नं0 84 रकबा 2.84 है0, 249 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.09 है, खसरा नं0 84/442 रकबा 0.01 है कुल रकबा 3.03 है0 दर्ज हुई । इस प्रकार सेटलमेट से पूर्व गौतम चन्द भण्डारी, नरेन्द्र चन्द भण्डारी के नाम 15 बीधा 11 बिस्वा भूमि खाते मे दर्ज थी, जिसके की मेट्रिक प्रणाली में 2.50 है0 बनते है । जबकि सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 में 03.03 है0 भूमि खाते मे दर्ज की गई इस प्रकार गत के मुकाबले 0.53 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई । उक्त खाते मे जो रकबा अधिक दर्ज हुआ है को आस पास के खातेदारों की भूमि मे से ही कमिबेशी की गई । सिवाय चक भूमि मे से कोई कमिबेशी नही की गई । अतः उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि पूर्व मे जिला कलक्टर कोटा द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी । पुनः उन्ही बिन्दुओं पर रेफरेन्स की कार्यवाही चलने योग्य नही होने से रेफरेन्स खारिज किया जाए ।

6. पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा ने दिनांक 02.08.1997 को धारा 136 अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष इस आश्य का पेश किया कि भू प्रबंध विभाग ने संवत् 2016 से 2024 की जमाबन्दी मे सोसायटी के नाम की आराजी सदस्यों के नाम कर दी जिसे पुनः मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी के नाम दर्ज की जावे । इस प्रकरण की सुनवाई कर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 19.05.2001 को विवादित आराजी कुल रकबा 3.03 हैक्टयर को मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी कोटा द्वारा मैम्बरान राजूल भंडारी बेवा गौतमचंद भंडारी,गौतमचन्द भण्डारी, नरेन्द्र भंडारी, जितेन्द्र भंडारी, रमेन्द्र भंडारी, अरूण भंडारी, प्रभा भंडारी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.05.2001 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने इस आदेश के विरूद्व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां अपील पेश की जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.2005 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.2001 को अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा क्रय की हुई भूमि को मिकेनाईज्ड एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसायटी कोटा मार्फत जीवित सदस्यगण के नाम इन्द्राज करने का आदेश दिया ।इस निर्णय दिनांक 13.12.2005 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे प्रस्तुत की गई । माननीय राजस्व मण्डल राज0 के निर्णय दिनांक 15.10.2012 से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अर्थात उपखण्ड अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 19.5.2001 एवं माननीय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 13.12.2006 अपास्त योग्य होने से खारिज किया गया ।

अतः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.10.2012 मे उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पारित निर्णय आधारहीन, रिकार्ड के विपरीत माना

जिसे कानूनी मान्यता नही दी जा सकती । पूर्व मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स सं0 1/98 व 6/98 भी जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 17.06.2002 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें वादग्रस्त आराजी को रेफरेन्स योग्य नही माना है । उक्त रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 15.10.2012 द्वारा रेफरेन्स मे अंकित किए गये सभी बिन्दुओं को पूर्ण विवेचन उपरान्त निर्णित किया है । अतः पुनः उन्ही बिन्दुओं पर पुनः रेफरेन्स पेश नही किया जा सकता ।

7. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा